



क्रमांक- 2/10/2017
सं0ई/88/2/भाग- 11/चार

दिनांक 21-11-2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-स्थानीय निकाय चुनाव हेतु मतदान के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के निर्देश।

उक्त के आलोक में रेलवे बोर्ड के पत्र सं0ई(जी)2008/एलई-1/5 दिनांक 02.02.2009 के पैरा-111 द्वारा निम्न निर्देश जारी किये गये हैं :-

"In connection with local body elections viz., Panchayat/ Corporation/Municipality, the Government Employees who are bonafide voters and desire to exercise their franchise should be offered reasonable facility, subject to normal exigencies of services, either by coming late to office or being allowed to leave office early or a short absence on that day."

कृपया उक्त निर्देशानुसार निकाय चुनाव हेतु मतदान करने वाले कर्मचारियों को सुविधा प्रदान की जाय।

(यू० पी० सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0-02 प्रतियों में।
- 6- मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक